



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092023-248882
CG-DL-E-22092023-248882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2023/भाद्र 30, 1945

No. 652]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2023/BHADRA 30, 1945

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2023

चिकित्सा शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण विनियम, 2023

क्र. सं. एन-P016/1/2023-पीजीएमईबी-एनएमसी.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 और विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 10, 24, 25 और 57 द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए, सामान्य और विशेष रूप से अपने कार्यों का सुचारू अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक** - इन विनियमों को "चिकित्सा शिक्षा मानकों का अनुरक्षण विनियम, 2023" कहा जाएगा। संक्षेप में, इन विनियमों को एमएसएमईआर-2023 कहा जाएगा।
2. **प्रारंभ** - ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. **परिभाषाएँ** - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, यहां परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो नीचे दिया गया है और उनकी सजातीय अभिव्यक्तियाँ और विविधताएं तदनुसार समझी जाएंगी –

क. "अधिनियम" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 [2019 का अधिनियम संख्या 30] अभिप्रेत होगा।

- ख. "आयोग" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 3 के अधीन विधिवत स्थापित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत होगा।
- ग. "मूल्यांकन" से 'मूल्यांकन/निरीक्षण' की अभिव्यक्ति या गतिविधि अभिप्रेत होगी जिसमें आभासी और/या भौतिक निरीक्षण शामिल होगा।
- घ. "एमएआरबी" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 16 के अधीन गठित चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अभिप्रेत होगा।
- ङ. "मेडिकल महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान" - जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इससे कोई ऐसा महाविद्यालय या किसी भी नाम से कोई ऐसी संस्था ज्ञात अभिप्रेत होगी, जिसमें कोई व्यक्ति अध्ययन कर सकता है या ऐसा कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है जो उसे किसी मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता धारण करने के योग्य बनाएगा।
- च. "एमएसआर" से स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या अन्तर स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा इस प्रकार या दिशानिर्देशों के माध्यम से अधिसूचित न्यूनतम मानक आवश्यकताएं अभिप्रेत होगा और जिसमें समय - समय पर जारी किए गए व्याख्यात्मक टिप्पणी, परिपत्र, परामर्श आदि भी शामिल होंगे।
- छ. "पीजीएमईबी" - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 16 के अधीन गठित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को संदर्भित करता है।
- ज. "यूजीएमईबी" - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 16 के अधीन गठित स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को संदर्भित करता है।
- झ. "ईएमआरबी"- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 16 के अधीन गठित नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड को संदर्भित करता है।

अध्याय II - वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट और उसका मूल्यांकन

4. वार्षिक प्रकटीकरण का अधिदेश

- 1) अपनी स्थापना के बाद, चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान संबंधित बोर्ड को एक वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, जो यूजीएमईबी या पीजीएमईबी द्वारा अधिसूचित एमएसआर और एनएमसी के नियमों, जैसा भी मामला हो, के अधीन प्रदान की गई शर्तों को पूरा करता हो।
- 2) ऊपर बताई गई किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित बोर्ड, संबंधित चिकित्सा संस्थान या संबंधित एजेंसियों से जो उस चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थानों पर नियंत्रण रखता है, से वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, जिसे अपने आंकलन के लिए आवश्यक समझे।
- 3) चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान या ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान पर नियंत्रण रखने वाली संबंधित एजेंसी या एजेंसियों का यह कर्तव्य होगा कि वे निर्धारित रीति में संबंधित बोर्ड को जानकारी (अतिरिक्त जानकारी सहित) प्रस्तुत करें।

5. रिपोर्ट का मूल्यांकन

- 1) अधिनियम के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित बोर्ड (पीजीएमईबी या यूजीएमईबी) यह सत्यापित करने के लिए वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सकता है कि चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान एमएसआर या एनएमसी विनियमों जैसा भी मामला हो, के माध्यम से निर्दिष्ट अपेक्षित निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं, जिसमें शामिल होंगे -
 - i. भौतिक अवसंरचना का सत्यापन;
 - ii. वास्तविक शिक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक संख्या में योग्य संकाय की उपलब्धता और नियमित और निरंतर आधार पर आवश्यक छात्र शिक्षण गतिविधियाँ शुरू किया जाना;
 - iii. विभिन्न विशिष्टताओं के रोगियों की संख्या, छात्रों के सर्वांगीण प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए रोगियों की विविधता, विभिन्न प्रक्रियाओं की संख्या, शल्य चिकित्सा, प्रयोगशाला जांच, रेडियोलॉजिकल जांच और अन्य प्रासंगिक जांच के संदर्भ में पर्याप्त नैदानिक सामग्री की उपलब्धता;

- iv. अपनाई गई शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन;
- v. मूल्यांकन की विधि और रीति, छात्रों की ग्रेडिंग;
- vi. छात्रों से फीडबैक की समीक्षा;
- vii. चिकित्सा शिक्षा के मानकों से संबंधित अन्य पैरामीटर जिन्हें संबंधित बोर्ड या एनएमसी द्वारा समय-समय पर शामिल किया जा सकता है।

2) उपरोक्त (1) या इन विनियमों में कहीं भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित बोर्ड, अपने विवेकानुसार, उपरोक्त संदर्भित वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट पर विचार करते समय चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से कोई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज आदि मांग सकता है।

3) चिकित्सा महाविद्यालय उपरोक्त उपखण्ड (2) के अधीन मांगी गई ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज इत्यादि को संबंधित बोर्ड या उस संबंध में आवेदक के विशिष्ट अनुरोध पर संबंधित बोर्ड द्वारा समय प्रदान किया गया है, से पत्राचार प्राप्त होने की तारीख से जल्द से जल्द लेकिन 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा। बशर्ते, चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान संबंधित बोर्ड द्वारा अपेक्षित जानकारी या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज आदि प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप या प्रो-फॉर्मा का पालन करेगा।

4) यदि आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अतिरिक्त समय सहित निर्धारित समय के भीतर ऐसी जानकारी जमा करने या स्पष्ट करने या अतिरिक्त दस्तावेज आदि प्रदान करने में विफल रहता है, तो इसे विनियमों का गैर-अनुपालन माना जाएगा और शास्ति लगाई जाएगी।

6. संयुक्त या स्वतंत्र मूल्यांकन

1) इन विनियमों में अन्यथा उल्लेखित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी बोर्ड (संगत बोर्ड को छोड़कर) व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान के वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट में दिए गए कथनों की सटीकता और/या सच्चाई और/या सत्यता का मूल्यांकन कर सकता है।

2) जब उप-धारा (1) के अधीन उल्लिखित ऐसा मूल्यांकन किया जाता है, तो संबंधित मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान का यह कर्तव्य होगा कि वह मूल्यांकन के दौरान संबंधित बोर्ड या बोर्डों को, जैसा भी मामला हो, सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे, जिसमें दस्तावेजों का खुलासा करना, अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करना, जैसा भी मामला हो, मौखिक बयान प्रदान करना आदि शामिल होगा।

3) ऊपर बताई गई किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रावधान के अधीन मूल्यांकन करने वाले संबंधित बोर्ड या बोर्डों, अनिवार्य रूप से मूल्यांकन के ऐसे आचरण और उसके परिणाम को जल्द से जल्द, अन्य बोर्डों और एनएमसी के साथ साझा करेंगे, लेकिन यह अवधि सात दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4) इस विनियम के अधीन ऐसे निरीक्षण के बाद, यदि संबंधित बोर्ड या बोर्ड किसी सुधारात्मक उपाय या कार्रवाई आदि पर विचार करते हैं, तो ऐसे उपाय या कार्रवाई की सूचना संबंधित बोर्ड (यूजीएमईबी या पीजीएमईबी) के माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान को दी जाएगी। बशर्ते यह निगरानी करना संबंधित बोर्ड की प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी कि सूचित किए गए ऐसे उपाय या कार्रवाई का चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाए।

7. अनुपालन का परिणाम

1) यदि चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान यूजीएमईबी या पीजीएमईबी के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित बोर्ड अगला/आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को जारी रखने और छात्रों के प्रवेश के लिए एक नवीनीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

2) यदि कोई खामी पायी जाती है तो उसके लिये उपरोक्त निर्णय के साथ या उसके बिना भी शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

अध्याय III – शास्ति**8. शास्ति**

1) जहां संबंधित बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि एक चिकित्सा संस्थान किसी वैधानिक प्रावधान, उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने में विफल रहा है या अपने संबंधित बोर्डों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं किया है, या ऐसे तरीके से आचरण किया है जो चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, बोर्ड या तो चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेज या चिकित्सा संस्थान पर शास्ति अधिरोपित करेगा और/या ऐसे कृत्य की आगे जांच करेगा और जहां भी आवश्यक हो उसमें सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा।

2) उपरोक्त धारा 8.1 में बताई गई किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति लगाने में निम्नलिखित में से एक/अधिक/सभी शामिल हो सकते हैं –

- क. चिकित्सा संस्थान द्वारा, सुधार/अनुपालन करने, जैसा भी मामला हो का निर्देश के साथ चेतावनी जारी करना;
- ख. चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रति उल्लंघन या चूक के कार्य के लिए मौद्रिक जुर्माना जो एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए;
- ग. गलत घोषणा/दस्तावेज/अभिलेख (मरीजों के रिकॉर्ड सहित) प्रस्तुत करने वाले संकाय/विभागाध्यक्ष (एचओडी)/डीन/निदेशक/डॉक्टर के लिए मौद्रिक जुर्माना जो पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, उन पर प्रचलित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत चिकित्सक (पेशेवर आचरण) विनियम, के अधीन कदाचार के लिए भी आरोप अधिरोपित किया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है।
- घ. प्रत्यायन प्रक्रिया को रोका जाना;
- ङ. उस शैक्षणिक वर्ष या इतने वर्षों के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम में सीटों की वृद्धि सहित किसी भी नए पाठ्यक्रम के लिए आवेदन की प्रक्रिया को रोकने के लिए एमएआरबी को सिफारिश करना।
- च. चिकित्सा संस्थान द्वारा अगले या बाद के शैक्षणिक वर्षों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या कम करना;
- छ. अगले या आगामी शैक्षणिक वर्षों में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को रोकना।
- ज. अनुमति वापस लेने के लिए एनएमसी को सिफारिश किया जाना;
- झ. पांच शैक्षणिक वर्षों तक की अवधि के लिए प्रत्यायन रोकना और वापस लेना।
- ञ. व्यक्तियों या एजेंसी के माध्यम से यूजीएमईबी, पीजीएमईबी या एनएमसी पर दबाव डालने का कोई भी प्रयास चिकित्सा संस्थान द्वारा सभी आवेदनों/अनुरोधों के प्रक्रियाधीन को तत्काल रोक देगा।
- च. व्यक्तियों या एजेंसी के माध्यम से यूजीएमईबी, पीजीएमईबी या एनएमसी पर दबाव डालने का कोई भी प्रयास चिकित्सा संस्थान द्वारा सभी आवेदनों/अनुरोधों पर विचार करने की प्रक्रिया को तत्काल रोक देगा।
- ज. बशर्ते कि चिकित्सा संस्थान को कमियों को सुधारने के लिए उचित अवसर दिया जा सकता है और यदि वह अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो आगे कोई कार्रवाई की जाएगी।

बशर्ते कि, यूजीएमईबी, पीजीएमईबी या एनएमसी उस समय लागू आपराधिक कानून के अनुसार गलत जानकारी देने, या झूठे दस्तावेज तैयार करने के लिए आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।

बशर्ते कि, यूजीएमईबी, पीजीएमईबी या एनएमसी उस समय लागू आपराधिक कानून के अनुसार गलत जानकारी देने, या झूठे दस्तावेज तैयार करने के लिए आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।

अध्याय IV – अपील**9. एनएमसी से अपील**

एक चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान या ऐसा कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी आदेश के खिलाफ निर्दिष्ट उचित शुल्क के साथ आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

बशर्ते, ऐसी अपील, जैसा भी मामला हो, ऐसे आदेश पारित होने या समय व्यतीत होने के साठ दिनों के भीतर दायर की जाती है।

10. केंद्र सरकार से अपील

जहां कोई आवेदक/चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान आयोग के निर्णय से असंतुष्ट है या जहां आयोग ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो ऐसे आदेश की तारीख या समय व्यतीत होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार के समक्ष दूसरी अपील दायर की जा सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

डॉ. विपुल अग्रवाल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./434/2023-24]

टिप्पणी: ये विनियम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहे हैं, इन विनियमों की व्याख्या के बारे में कोई भी संदेह होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2023

MAINTENANCE OF STANDARDS OF MEDICAL EDUCATION REGULATIONS, 2023

F. No. N-P016/1/2023-PGMEB-NMC.—exercise of overall powers conferred by the National Medical Commission Act, 2019 and particularly by sections 10, 24, 25 and 57 of the said Act, National Medical Commission makes the following Regulations to ensure smooth compliance with its functions in general and particularly to maintain a high quality and high standards in medical education.

CHAPTER I – PRELIMINARY

1. **Short Title** – These Regulations may be called the “Maintenance of Standards of Medical Education Regulations, 2023”. In short, these regulations will be called MSMER-2023.
2. **Commencement** - These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.
3. **Definitions** – In these Regulations, unless the context otherwise requires the terms defined herein shall bear the meaning assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly –
 - a. “**Act**” shall mean National Medical Commission Act, 2019 [Act No. 30 of 2019].
 - b. “**Commission**” shall mean the National Medical Commission duly established under Section 3 of the National Medical Commission Act, 2019.
 - c. “**Evaluation**” shall mean the expression or activity of ‘Evaluation/inspection’ which shall include virtual and/or physical inspection.
 - d. “**MARB**” shall mean the Medical Assessment and Rating Board constituted under Section 16 of the National Medical Commission Act, 2019.
 - e. “**Medical College or Medical Institution**” - unless the context otherwise requires, shall mean any college or by whatever name called, in which a person may undergo a course of study or training which will qualify him for the award of any recognized graduate or post-graduate medical qualification.
 - f. “**MSR**” shall mean the Minimum Standards Requirements as notified by the Post Graduate Medical Education Board or Under Graduate Medical Education Board as such or by way of guidelines and which shall also include, explanatory notes, circulars, advisories, etc., issued from time to time.
 - g. “**PGMEB**” - refers to Post Graduate Medical Education Board constituted under Section 16 of the National Medical Commission Act, 2019.
 - h. “**UGMEB**”- refers to Undergraduate Medical Education Board constituted under Section 16 of the National Medical Commission Act, 2019.
 - i. “**EMRB**”- refers to Ethics and Medical Registration Board constituted under Section 16 of the National Medical Commission Act, 2019.

CHAPTER II – ANNUAL DISCLOSURE REPORT AND ITS EVALUATION**4. Mandate of Annual Disclosure**

- 1) After its establishment, the medical college or medical institution is obligated to furnish an Annual Disclosure Report to the corresponding Board, satisfying such conditions provided under the notified MSRs by UGMEB or PGMEB and regulations of NMC, as the case may be.
- 2) Without prejudice to anything stated above, the concerned Board may seek such additional information with regard to the Annual Disclosure Report, as and when deemed necessary for their assessment and otherwise from the concerned medical institution or concerned agencies having or exercising control over that medical college or medical institution.
- 3) It shall be the duty of the medical college or medical institution or the concerned agency or agencies exercising control over such medical college or medical institution to furnish the information (including additional information) to the concerned Board in the prescribed mode.

5. Evaluation of Report

- 1) Keeping in mind the overall objectives of the Act, the respective Board (PGMEB or UGMEB) may undertake the evaluation of the Annual Disclosure Report for verifying whether the medical college or medical institution fulfils the required conditions prescribed by way of MSRs or NMC Regulations as the case may be, which shall include –
 - i. verification of physical infrastructure;
 - ii. availability of required number of qualified faculty for actual teaching and research and to undertake necessary student learning activities on a regular and continued basis;
 - iii. availability of adequate clinical material in terms of number of patients of different specialties, variety of patients to fulfil all round training of students, number of variety of procedures, surgeries, laboratory investigations, radiological investigations and other relevant investigations;
 - iv. assessment of the teaching methodology adopted;
 - v. the methods and modes of assessment, grading of the students;
 - vi. review of feedback from students;
 - vii. other parameters related to standards of medical education that may be added from time to time by the respective boards or NMC.
- 2) Without prejudice to **(1) above** or elsewhere in these Regulations, at its sole discretion, the respective Board may seek any additional information or clarification or additional documents etc., from the medical college or medical institution while considering the Annual Disclosure Report referred above.
- 3) The Medical College shall furnish such information or clarification or additional documents, etc., sought under sub-section **(2) above** at the earliest but not later than 30 days from the date of receipt of communication from the respective Board or such additional time to be provided by the respective Board on specific request from the applicant in that regard. Provided, the medical college or medical institution shall adhere to the prescribed format or pro-forma, while furnishing of information or clarification or additional documents etc., as required by the concerned Board.
- 4) If the applicant fails to submit such information or clarify or provide additional documents etc., as mandated by the respective Board within such prescribed time including any additional time provided by the respective Board, shall be deemed as non-compliance with the Regulations and shall attract penalty.

6. Joint or Independent Evaluation

- 1) Notwithstanding anything stated elsewhere in these Regulations, any of the Board (other than corresponding Board) individually or collectively, may cause to evaluate the accuracy and/or truth and/or veracity of the averments made out in the Annual Disclosure Report from the medical college or medical institution.
- 2) When such evaluation as enumerated under sub-section **(1)** is undertaken, it shall be the duty of the concerned medical college or medical institution to provide all necessary support to the concerned Board or Boards as the case may be, in their course of evaluation, which shall also include disclosure of documents, providing additional evidence as the case may be, providing oral statements etc.

- 3) Without prejudice to anything stated above, the concerned Board or Boards conducting evaluation under this provision, shall mandatorily share such conduct of an evaluation and its outcome to other Boards and NMC at the earliest but not exceeding seven days.
- 4) After such inspection under this Regulation, if the concerned Board or Boards contemplate any remedial measure or action etc., such measure or action shall be intimated to the medical college or medical institution, through the concerned Board (UGMEB or PGMEB). Provided it shall be the administrative responsibility of the concerned Board to oversee that such measure or action intimated are duly complied with by the medical college or medical institution.

7. Consequence of Compliance

- 1) If the medical college or medical institution is found to be successfully meeting requirements as prescribed for the UGMEB or PGMEB as the case may be, the concerned Board shall provide a renewal certificate for continuation of the course/s and admission of students thereof for the next/ coming Academic Year.
- 2) Any deficiency noted will attract penalties with or without the decision above.

CHAPTER III – PENALTIES

8. Penalties

- 1) Where the respective Board has reason to believe that a medical institution has failed to comply with any statutory provision, regulations framed thereunder or has not complied with the Minimum Standards of Requirements as prescribed by their respective Boards, or has conducted themselves in any manner which is not in accordance with the goals of medical education and practice, the Board shall either penalize the medical college or medical institution and /or conduct further enquiry into such act and wherever needed provide an opportunity to rectify the same.
- 2) Without prejudice to anything stated at **Section 8.1** above, the imposition of the penalty may include one/more/ all of the following –
 - a. Issuance of warning with direction to rectify/comply, as the case may be, by the medical institution;
 - b. Monetary penalty not exceeding INR one crore per violation or act of omission by the medical institution;
 - c. Monetary penalty not exceeding Rupees five lakh for the faculty/Head of the Department (HoD)/ Dean/Director/doctor submitting false declaration/documents/records (including patients' records). Further, they can also be charged or penalized for misconduct under the Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations in vogue.
 - d. Withholding the accreditation process;
 - e. recommending to MARB for withholding processing of application(s) for any new course including increase of seats in the existing course for that academic year or for such number of years.
 - f. Reducing the number of students in the next or subsequent academic years to be admitted by the medical institution;
 - g. Stoppage of admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic years.
 - h. Recommending to NMC for withdrawal of permission;
 - i. Withholding and withdrawal of accreditation for a period up to five academic years.
 - j. Any attempt to pressurize UGMEB, PGMEB or NMC through individuals or agency will lead to immediate halt of the processing of all applications/requests by the medical institution.

Provided that the medical institution, may be granted a reasonable opportunity to rectify the deficiencies and any further action shall be taken if it fails to meet the requisite norms.

Provided further that, the UGMEB, PGMEB or the NMC may also initiate criminal proceedings for furnishing false information, or fabrication of false documents as per the criminal law in force at that time.

CHAPTER IV –APPEALS**9. Appeal to NMC**

A medical college or medical institution or any such aggrieved person may file an appeal before the Commission with an appropriate fee as specified against any order.

Provided, such an appeal is filed within sixty days of passing of such an order or lapse of time, as the case may be.

10 Appeal to the Central Government

Where an applicant/ medical college or medical institution is aggrieved by the decision of the Commission or where the Commission fails to give its decision within forty-five days from the date of receipt of such an appeal, a second appeal may be filed before the Central Government within thirty days from the date of such order or lapse of time, as the case may be.

The decision of the Central Government in this regard shall be final.

Dr. VIPUL AGGARWAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./434/2023-24]

Note: These Regulations are being published in English and Hindi, the English version shall prevail in case of any doubt about the interpretation of these Regulations.